झारखण्ड सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

आदेश

आदेश संख्याः–4 / आ0–03–1026 / 16– 45 राँची / दिनांकः 2/2/18

मुख्यमंत्री जनसंवाद "सीधी बात" के माध्यम से विभाग को प्राप्त शिकायत संख्या–2016–442871 दिनांक–14.06.2016 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला के चैनपुर प्रशाखा के प्रभारी कनीय अभियन्ता श्री इंमरान अंसारी के विरूद्ध मालम पंचायत के गांव में जनवरी–फरवरी 2016 में शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। प्रारंभिक जाँच के कम में श्री अंसारी के विरूद्ध प्रतिवेदित शिकायत प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित पाया गया, जिसके उपरांत श्री अंसारी को कार्यालय आदेश संख्या–245 सहपठित ज्ञापांक–4835 दिनांक–25.10.2016 द्वारा निलंबित किया गया।

2. तद्पश्चात् श्री अंसारी के विरूद्ध प्रथम द्रष्टव्या प्रमाणित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय आदेश संख्या–296 सहपठित ज्ञापांक–4836 दिनांक–25.10.2016 द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की गई। समिति के पत्रांक–1260 / SBM(G) दिनांक–28.11.2016 द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन श्री अंसारी के विरूद्ध शौचालय निर्माण में अनियमितता बरतते हुए सरकारी राशि के संबंधी कतिपय आरोप प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध विभागीय पत्रांक–33 दिनांक–03.01.2017 द्वारा श्री अंसारी से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। श्री अंसारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी एवं पाया गया कि श्री अंसारी ने स्वंय कतिपय आरोप स्वीकार किये है एवं मानक प्राक्कलन एंव गुणवत्ता के अनुरूप शौचालय निर्माण कार्य नही कराया है तथा वित्तीय अनियमितता भी बरती गयी है। पूरे मामले के समीक्षोपरान्त विभाग स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा श्री अंसारी के विरूद्ध उक्त वर्णित प्रमाणित आरोपों के विरूद्ध विभागीय आदेश संख्या–137 सहपठित ज्ञापांक–1594 दिनांक–04.04.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच पूर्ण कर उनके पत्रांक–3526 दिनांक–31.07.2017 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी जिसमें पाया गया कि जाँच संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन अस्पष्ट एवं विरोधाभासी है। इस प्रकार के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्टता के अभाव में अग्रेतर कार्रवाइ किया जाना संभव नहीं है। समीक्षोपरान्त जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन अस्वीकार करते हुए श्री अंसारी के विरूद्ध पुनः विभागीय आदेश संख्या–330 सहपठित ज्ञापांक–4488 दिनांक–22.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

4. इसी मध्य श्री अंसारी द्वारा उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–27.01.2018 द्वारा निलंबन से मुक्त करने का अनुरोध विभाग से किया गया। प्राप्त पत्र में वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाया गया कि श्री अंसारी लगभग 15 माह से निलंबित है एवं इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित है। अतएव कार्यहित में श्री अंसारी को निलंबन मुक्त करने का निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है।

5. उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में निम्न आदेश दिये जाते हैं :–

(क). श्री इमरान अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा सम्प्रति निलंबित, अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा को संचालित विभागीय कार्यवाही पर प्रभाव डाले बिना तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

(ख). निलंबन से मुक्ति के उपरांत श्री अंसारी के पदस्थापन की कार्रवाई प्रशाखा–3 द्वारा की जायेगी।

(ग). विभागीय आदेश संख्या–330 सहपठित ज्ञापांक–4488 दिनांक–05.10.2017 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही पर इस आदेश का कोई प्रभाव नही पडेगा।

(घ). झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के कंडिका 10 के तहत् श्री अंसारी के निलंबन अवधि के वेतन भत्ते का निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल से प्रभावित होगा।

(ड). यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।

(च). श्री अंसारी द्वारा निलंबन मुक्ति के पश्चात् मुख्यालय में योगदान दिया जायेगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति श्री इंमरान अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, चैनपुर प्रशाखा, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा एवं अन्य संबंधित को उपलब्ध करायी जाय।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 4/आ0–03–1026/16 611 राँची,दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– मा0 विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियन्ता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियन्ता/सभी उप सचिव/ सभी अधीक्षण अभियन्ता (याँत्रिक सहित)/सभी अवर सचिव/सभी कार्यपालक अभियन्ता (याँत्रिक सहित) / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–3 एवं 4, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 4/आ0–03–1026/16 611 राँची,दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।
02/02/18

ज्ञापांक – 4 / आ0–03–1026 / 16 611 राँची,दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– श्री रामप्रवेश सिंह, अधीक्षण अभियन्ता (योजना), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह जाँच संचालन पदाधिकारी तथा श्री शिव किशोर मिश्र, अवर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची सह प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/18
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 4 / आ0–03–1016 / 16 611 राँची,दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– श्री इमरान अंसारी, तत्कालीन कनीय अभियन्ता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल, गुमला चैनपुर प्रशाखा सम्प्रति निलंबित अधीक्षण अभियन्ता का कार्यालय, पेयजल एवं स्वच्छता अंचल, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/18
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक – 4 / आ0–03–1026 / 16 611 राँची,दिनांक– 2/2/18

प्रतिलिपि– श्री नितिन कुमार, राज्य समन्वयक (IT),(PMU) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/2/18
(अभय नन्दन अम्बष्ठ)
सरकार के उप सचिव।
02/02/18